संख्या : 8/2016/1857/छप्पन-2015-7/2013

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 22 जनवरी, 2016**

विषय : राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0 पी0 पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) को मैसर्स विचिटा कन्सास, यू0एस0ए0 में सिमुलेटर पर पायलट इन कमाण्ड ट्रेनिंग कराये जाने हेतु विदेश यात्रा की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या : 790/ना0उ0नि0/आप्स-ए0के0/2015, दिनांक 28.12.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- पूर्व शासनोदश संख्या- 93/2015/1662(2)/छप्पन-2015-7/2013, दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में कै0 अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) को राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0 पी0 के सिमुलेटर पर पायलट इन कमाण्ड ट्रेनिंग कराये जाने हेतु मैसर्स फ्लाई सेफ्टी इन्टरनेशनल विचिटा कन्सास, यू0एस0ए0 में अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर दिनांक 25-12-2015 से दिनांक 20-01-2016 तक (छः यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) की स्वीकृति कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी थी। अपरिहार्य कारणों से कै0 अरूण कुमार को उक्त कार्यक्रमानुसार इंगित प्रशिक्षण हेतु यू0एस0ए0 नहीं भेजा जा सका।

3- उक्त पत्र दिनांक 28.12.2015 में किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में कै0 अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) को राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0 पी0 के सिमुलेटर पर पायलट इन कमाण्ड ट्रेनिंग कराये जाने हेतु मैसर्स फ्लाई सेफ्टी इन्टरनेशनल विचिटा कन्सास, यू0एस0ए0 में अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर उक्त प्रशिक्षण पूर्व कार्यक्रमानुसार दिनांक 25-12-2015 से दिनांक 20-01-2016 के स्थान पर अब संशोधित कार्यक्रमानुसार दिनांक 25-01-2016 से दिनांक 17-02-2016 (यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) तक प्राप्त करने हेतु विदेश यात्रा की स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

4- पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या- 92/2015/1662/छप्पन-2015-7/2013, दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 उपरोक्तानुसार संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश में उल्लिखित प्रश्नगत विदेश यात्रा से सम्बन्धित शर्त एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- विदेश प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- उक्त विदेश यात्रा पर सन्निहित व्यय की स्वीकृति पूर्व में शासनादेश संख्या-93/2015/1662(2)/छप्पन-2015-7/2013, दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। अलग से वित्तीय स्वीकृति निर्गत नहीं की जानी है।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 8/2016/1857(1)/छप्पन-2015 तद्दिनांक ।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0 छठा तल, केन्दीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित अधिकारी।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।